न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 99/2021

वादी :-

भंवरलाल पुत्र दौलाराम जाति जाट निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार श्रीमति सोहनी देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड शहर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. चुतराराम पुत्र लाबुराम
2. महीपाल पुत्र चुतराराम
3. विरेन्द्र पुत्र चुतराराम जातियान जाट (ठींगला) निवासीगण बिरावास तहसील बिलाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः- वादी - श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादीगण सं. 4 - सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांकः- 20/01/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा (0.9061 हैक्टेयर) आयी हुयी है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चुतराराम पुत्र लाबुराम जाति जाट निवासी बीरावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की थी। प्रतिवादी संख्या 1 चुतराराम ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त भूमि को दिनांक 23.04.2004 को जरिये रजिस्ट्री श्रीमती विमला देवी पत्नी गोरधनराम जाति जाट निवासी भावी को वैचान कर कब्जा श्रीमती विमला देवी को सौप दिया। तत्पश्चात श्रीमती विमला देवी ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त भूमि को दिनांक 22.12.2020 को जरिये रजिस्ट्री वादी को बैचान कर कब्जा वादी को सौप दिया तब से इस भूमि पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। रजिस्टर्ड वैचान के आधार पर दिनांक 20.06.2021 को नामान्तरकरण संख्या 1351 स्वीकृत किया जाकर वादी को राजस्व रेकर्ड जामाबन्दी में इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादी इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण ने इस भूमि को श्रीमती विमला देवी को पूरी कीमत देकर खरीद कर ली जिससे प्रतिवादीगण नाराज हो गये एवं उन्होने वादी जो दूसरे गांव के है के कब्जे काश्त में दखल करने की नियत से एक गिरोह बना लिया एवं धमकी दी कि वो वादी को इस भूमि पर काश्त नहीं करने देंगे। वादी ने फसल बुआई के खेत को तैयार करने के लिए दिनांक 29.06.2021 को ट्रेक्टर से तवीया निकालने हेतु गया ताकि बरसात होने पर फसल की बुआई की जा सके। लेकिन वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की नियत से दिनांक 29.06.2021 को प्रतिवादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 91/1 में नाजायज तौर से प्रवेश कर ट्रेक्टर से तवीया निकाल कर खडाई कर दी एवं पश्चिमी दिशा की माठ को तोड़ दिया तथा भूमि के अन्दर से 5 पीलर को चुरा कर ले गये। वादी ने प्रतिवादीगण को अप

खातेदारी भूमि में नाजायज तौर पर ऐसी हरकत करने से मना किया लेकिन प्रतिवादीगण नही माने तथा वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। ऐसी नाजायज हरकत करने के कारण वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दिनांक 01.07.2021 को रिपोर्ट को पेश किया, जिस पर पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध धारा 447,427 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 262 को दर्ज किया। बाद अनुसंधान पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बिलाडा के समक्ष चालान पेश किया। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की इन नाजायज हरकतों को रोकने के लिए वादी को यह दावा पेश करना पड़ रहा है। भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्तशुदा है, जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नहीं है. फिर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज तौर से खेत में प्रवेश कर ट्रेक्टर से तवीया निकालकर खेत को नष्ट कर दिया एवं माठ को तोड दिया। वादी की खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी। इस कारण वादी का अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है अगर प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से नही रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती एवं प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 29.06.2021 को प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा में नाजायज तौर से ट्रेक्टर से खडाई करने तथा माठ को तोड देने पर बमुकाम ग्राम बीरावास पैदा हुआ।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा (0.9061 हैक्टेयर) में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावे तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादी की खातेदारी की भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे। खर्चा मुकदमा वादी को, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 दिलाया जावें ।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया, प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी सं. 4 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा का खंडन नहीं करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बीरावास की भूमि खसरा नम्बर 91 पूर्व में चुतराराम पुत्र लाबूराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी उसके बाद खातेदार चुतराराम पुत्र लाबूराम द्वारा खातेदार विमलादेवी पत्नी गोरधनराम जाति को दिनांक 23.04.2004 को बैचान की

गई। खातेदार विमलादेवी पत्नी गोरधनराम द्वारा खसरा नंबर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा का बैचान दिनांक 22.12.2020 सोहनी देवी पत्नी भंवरलाल को रजिस्टर्ड बैचान किया गया। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 22.12.2020 के आधार पर खातेदार सोहनी देवी पत्नी भंवरलाल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। खातेदार सोहनी देवी द्वारा भंवरलाल पुत्र दौलाराम के पक्ष में दिनांक 29.06.21 को आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया। खातेदार सोहनीदेवी द्वारा जरिये आम मुख्त्यारनामा द्वारा भंवरलाल पुत्र दौलाराम सभी प्रकार के वाद दायर करने का अधिकार दिया गया। वादी द्वारा आम मुख्त्यारनामा की हैसियत से वाद दायर किया गया। वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा के रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का वादी की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रुप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरुम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- आदेशः-

अतः वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भंवरलाल		घुताराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 99/2021

निर्णय दिनांक :- 20/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बीरावास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 91/1 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा